कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा (छ0ग0)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com / Fax no - 07864-284278

क्रमांक / 42 / स्था. / मु.चि.अ / ग्रा.स्वा.सं.म.भर्ती / 2021 सुकमा, दिनांक 10/8/2021

--:: आदेश ::--

छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 (संशोधित नियम 11 जून, 2020) में दिये गये प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (बहु.स्वा. कार्यकर्ता) महिला तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित वेतनमान (लेबल -5) 5200-20200 ग्रेड वेतन 2200 पर प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर सिमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पद पूर्ति किये जाने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन तृतीय तल नवा रायपुर के विज्ञापन कमांक / स्था. / नर्सिंग / 170 / 2021 / 229 नवा रायपुर दिनांक 09.03.2021 के तहत सीमित विभागीय परीक्षा उपरांत प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता कमानुसार तथा चयन समिति की अनुशंसा पर चयनित अभ्यर्थियों को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (बहु.स्वा.कार्यकर्ता) महिला के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल 05 में तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21 / 20 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क	नाम	पिता / पति का नाम	निवास स्थान का नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	सोनी	श्री फतेह बहादुर	ग्राम पो. दोरनापाल तह कोन्टा जिला सुकमा	समान्य	उप स्वास्थ्य केन्द्र दुब्बाटोटा
2	कृष्णा नाग	स्व. मदरू राम नाग	ग्राम पो. कुकानार (नया गुड़ा) तह. छिंदगढ़ जिला सुकमा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र मारेंगा (HWC)
3	अनिता सोरी	श्री रामदुलार	ग्राम पो. कोर्रा तह. गादीरास जिला सुकमा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र मानकापाल

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
2. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन कमांक (सी) 591 / 2012, 592 / 2012, 593 / 2012 एवं 594 / 2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अधीन होगी।
3. अस्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि में जितनी अवधि कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा ।
4. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 2 के अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।
5. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी पायी जाती है या उन्हें शासकीय सेवा के लिये अनुपयुक्त पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

6. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 02 माह की समयावधि में जिला मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।
8. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
9. चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल में निवासरत होकर कार्य संपादन करना अनिवार्य होगा।
10. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाणपत्र फर्जी अथवा दी गई जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जावेगी।
11. उक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता अन्तिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा ।
12. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि में रहेगी, परीवीक्षा अवधि के कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परीवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
14. सेवा पुस्तिका 02 नग, सामान्य भविष्य निधि लेखा पुस्तिका 02 नग एवं फोर फोल्डर फाईल 01 नग उपस्थिति के समय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – सुकमा (छ0ग0)

क्रमांक/ 42A/स्था./मु.चि.अ/2021 सुकमा, दिनांक 10/08/2021

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये छ0ग0 इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
5. विज्ञान एवं सूचना अधिकारी एन.आई.सी. छ.ग. की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. जिला मेडिकल बोर्ड जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ।
8. जिला कोषालय अधिकारी जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
9. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधिक्षक जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
10. नोडल अधिकारी एम.पी.डब्ल्यू (महिला) भर्ती शाखा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये छ0ग0 इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सुकमा/छिन्दगढ/कोन्टा जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
12. श्री/श्रीमती/कु. ....जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। (अभ्यार्थी अपने आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड करें)
13. आदेश फाईल ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – सुकमा (छ0ग0)